

1.	विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण
2.	योजना का नाम –	कुष्ठावस्था पेंशन योजना
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ होने के कारण दिव्यांग हुए हैं। चाहें उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हों। ऐसे दिव्यांगों को रू0 2500/- प्रति माह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है।
4.	पात्रता की अर्हता–	किसी भी आयु वर्ग के बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्ति
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	ऑनलाइन आवेदन
6.	लिंक वेबसाईट	http://sspy-up.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अथवा उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।